

केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग,
मुनिरका, नई दिल्ली - 110067.

संचिका सं. CICOM/R/2019/00497

दिनांक 15.07.2019

सेवा में,

श्री मो0 जकी,

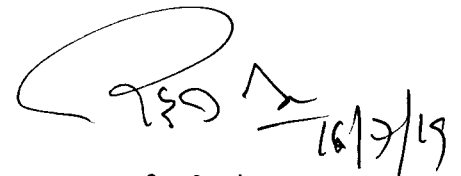
विषय:- सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपका दिनांक 20.06.2019 का आर.टी.आई. आवेदन जो कि दिनांक 01.07.2019 को केन्द्रीय सूचना आयोग के आर.टी.आई. प्रकोष्ठ में प्राप्त हुआ, से संबंधित बिंदुवार सूचना निम्नानुसार है :-

बिंदु सं. 1, 2, 3, 4, एवं 6	आपने कोई सूचना नहीं मांगी है, बल्कि निर्णय की अपेक्षा की है जो कि सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2 (च) परिभाषित सूचना की परिभाषा में शामिल नहीं है । अतः इसे प्रदान करने में जन सूचना अधिकारी असमर्थ हैं ।
बिंदु सं. 5	वांछित सूचना हेतु सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 का अवलोकन करें जो कि केन्द्रीय सूचना आयोग की वेबसाइट के लिंक https://cic.gov.in/sites/default/files/rti-actinhindi.pdf सहित इंटरनेट में आसानी से उपलब्ध है । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सूचना की कोई सूची उपलब्ध नहीं है ।

यदि आप उपरोक्त सूचना से संतुष्ट नहीं हैं तो इस सूचना की प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर प्रथम अपील श्री आर. के. सिंह, अपर सचिव एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 दूरभाष नं. 011-26162290 पर की जा सकती है ।



(टी. बी. जे. एस. राजप्पा)
केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी,
आर.टी.आई.सेल
दूरभाष - 011-26172690